

(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय  
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. // /2015-2020

दिनांक:- 1 जुलाई, 2021

**विषय:** उदगम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत मैसर्स ओरिएंटल चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री को परिशिष्ट-2ड. के तहत सूचीबद्ध करने के संबंध में।

विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा निम्नलिखित एजेंसी को उदगम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत करते हैं:

मैसर्स ओरिएंटल चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री,  
प्लॉट नं. 11, कोटक महिन्द्रा बैंक के ऊपर, इंदिरा नगर  
मंडोदीप-462046, जिला. रायसेन  
दूरभाष: 9827622438, 9893981916  
ई-मेल: [occimdp@gmail.com](mailto:occimdp@gmail.com)

2. तदनुसार, उपर्युक्त एजेंसी का नाम एफटीपी (2015-20) के परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2ड. [उदगम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] की क्रम सं. 07 (मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़) पर जोड़ दिया गया है।

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के परिशिष्ट 2ड. के तहत मैसर्स ओरिएंटल चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री को उदगम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु सूचीबद्ध किया गया है।

अमित यादव  
01/07/2021  
(अमित यादव)

महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं  
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार  
ईमेल: [dgft@nic.in](mailto:dgft@nic.in)

(फा० सं० 01/93/180/41/एएम-20/पी.सी-II(बी)/ई-23705 से जारी)